

India Trade Promotion Organisation

Pragati Bhawan, Pragati Maidan, New Delhi – 110 001
Tel.: 91-11-23371540 (EPABX), Fax: 91-11-23371492, 91-11-23371493
E-mail: info@itpo.gov.in, Website: <http://indiatradefair.com>

PUBLIC SAFETY MEASURES AND DESIGN GUIDELINES

Third Party Events in Pragati Maidan, Delhi

August 2016

- Third Part Organisers are required to submit drawings & documents as mentioned below, either **by e-mail (preferred) or in Hardcopy**, to the concerned BDD officer for submitting for comments of Architecture Division ITPO, **atleast 15 days before** start of tenancy of the fair/event:
 - a) Scanned Cover Letter on Company Letterhead, as per Annexure-A enclosed;
 - b) Plan/Layout with dimensions (preferably with grid);
 - c) Details of mezzanine stalls, their design & Structural stability certificate (if applicable);
 - d) Any outside hall construction or decoration;
 - e) Any special request for approval, if any.
- If submitting by mail,:
 - subject of the mail needs to be as follows:
Third Party Event Event name in Hall no. during event dates
 - format of attached documents should be in JPG, JPEG, PNG, PDF or DOC formats only.
- No allotment or approval of stall or order of material/construction should not be given before approval of layout by ITPO

Following are general design guidelines for Third Party Events in Pragati Maidan, Delhi:

1. No passage should be less than 3.0m for B-to-B & 4.0m for B-to-C fair.
2. Proper public movement/flow should be ensured, leading directly to all entry/exits.
3. No structure may be erected in front of entire width of emergency exits & electrical/fire safety installation.
4. In Hangers, temporary entry/exit doors may be kept 2.0m wide in case of public entries.
5. Provision of emergency lights, emergency exits, fire retardant paint on wooden members/combustible material.
6. Direct access (1.0m wide passage) to all the electrical panels, fire safety equipments and services like toilets etc. as shown in the drawing.
7. Peripheral passage 1m wide, should be free from any storage/construction. No storage is allowed inside Halls. Responsibility of safety & adherence to norms of individual stalls lies with Organizer.
8. No feature/logo should go beyond the following height:
 - a. Hall 2-5, 6, 14 & 18: 6.0m
 - b. Hall 7, 8-11 & 12-12A: 5.0m

The above height is further subject to being atleast 1.0m below ceiling.

9. Electric cables/wiring may be covered properly under PVC/wooden boxes (fire retardant).
10. Drawing for mezzanine construction and structural stability certificate in respect of mezzanine from qualified structural engineer to be submitted. Rental for mezzanine area, including stairs, may be charged as per prescribed rates.
11. No construction in Entry/Interlocking lobby, except for Registration Counter, that too away from passage/doorway.
12. Any construction in form of stall, branding, registration gate or display shall not be directly on the road & are to be on the designated places.
13. Compliance to all Fire safety, Engineering and Architectural guidelines.
14. Approval/NOC from Delhi Fire Service/Traffic Police to be obtained.
15. No construction areas in Foyers:
 - a. Hall 7: No commercial use & further subject to approval of Layout
 - b. Hall 8 - 9: NIL
 - c. Hall 9 - 10, 10-11, 12-12A: 12.0m from inner doorway in Foyer & either side of Foyer and further subject to approval of Layout
 - d. Hall 18: No commercial use & further subject to approval of Layout
16. For Food & beverage usage, F&B Division Guidelines to be followed and approval may be sought from F&B Division.
17. One Fire Tender (with all accessories & crew members) and sufficient trained Fire Guards inside Halls should be deployed.
18. Joint Inspection during pre-exhibition tenancy & on first day of exhibition with representative of Organizer.

Annexure-A

REQUEST FOR SCRUTINY OF DRAWINGS

To: India Trade Promotion Organisation (ITPO),
Pragati Bhawan, Pragati Maidan, New Delhi – 110001.

Event: _____

Company Name: _____

Hall no.: _____ Exhibition dates: _____ Tenancy dates: _____

Contact Person's Name: _____ Designation: _____

Mobile no.: _____ Telephone no.: _____

Checklist:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Plan/Layout with dimensions; | <input type="checkbox"/> |
| 2. Details of mezzanine stalls (if applicable); | <input type="checkbox"/> |
| 3. Any outside hall construction or decoration; | <input type="checkbox"/> |
| 4. Any special request for approval, if any. | <input type="checkbox"/> |

Signature: _____

Name: _____

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001

टेली: 91-11-23371540 (EPABX), फैक्स: 91-11-23371493

ई-मेल: info@itpo.gov.in , वेबसाइट: <http://indiatradefair.com>

सार्वजनिक सुरक्षा उपाय एवं डिजाइन दिशानिर्देश

प्रगति मैदान, दिल्ली में तृतीय पक्ष के आयोजन

अगस्त 2016

- तृतीय पक्ष आयोजकों को निम्नानुसार आईटीपीओ के आर्किटेक्चर डिजाइन की टिप्पणियों को जमा करने के लिए के लिए संबंधित बी.डी.डी. अधिकारी को या तो ई-मेल (प्रधानता) या हार्डकॉपी में, मेला/कार्यक्रम की किरायेदारी शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले आहरण और दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
 - क) अनुबन्ध-क के अनुसार कंपनी के लेटरहेड पर स्कैन किया गया कवर लेटर;
 - ख) परिमाण सहित योजना/लेआउट (अधिमानत: ग्रिड के साथ);
 - ग) मेजेनाइन स्टालों का विवरण, उनका डिजाइन और संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो);
 - घ) कोई बाहरी हॉल निर्माण या सजावट;
 - ङ) अनुमोदन के लिए कोई विशेष अनुरोध, यदि कोई हो।
- यदि मेल द्वारा जमा कर रहे हैं:
 - मेल का विषय इस प्रकार होना चाहिए:
तृतीय पक्ष कार्यक्रम हॉल नं. में कार्यक्रम का नाम कार्यक्रम की तारीख के दौरान
 - संलग्न दस्तावेजों का प्रारूप केवल जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ या डीओसी प्रारूप में होना चाहिए।
- आईटीपीओ द्वारा लेआउट के अनुमोदन से पूर्व स्टाल का आवंटन या अनुमोदन या सामग्री/निर्माण का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए 1

प्रगति मैदान, दिल्ली में तृतीय पक्ष के कार्यक्रमों के लिए सामान्य डिजाइन दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

1. कोई भी रास्ता बी-टू-बी के लिए 3.0 मीटर और बी-टू-सी मेले के लिए 4.0 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
2. सीधे सभी प्रवेश/निकास द्वारों तक पहुंचने हेतु उचित सार्वजनिक आवाजाही/प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
3. आपातकालीन निकास की पूरी चौड़ाई और विद्युत/अग्नि सुरक्षा संस्थापन के सामने कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है ।
4. हैंगर में, जनसामान्य के प्रवेश के मामले में अस्थायी प्रवेश/निकास द्वार 2.0 मी चौड़ा रखा जा सकता है 1
5. लकड़ी की सामग्री/दहनशील सामग्री पर आपातकालीन रोशनी, आपातकालीन निकास, अग्निरोधी पेंट की व्यवस्था ।

6. सभी विद्युत पैनलों, अग्नि सुरक्षा उपकरणों (1.0 मीटर चौड़ा मार्ग) और शौचालय आदि जैसी सेवाओं तक सीधी पहुंच ड्राइंग अनुसार ।
7. परिधीय (पेरीफेरल) मार्ग 1 मीटर चौड़ा, किसी भी भंडारण/निर्माण से मुक्त होना चाहिए। हॉल के अंदर किसी भंडारण की अनुमति नहीं है। सुरक्षा और निजी स्टाल के मानदंडों का पालन करने की ज़िम्मेदारी आयोजक की होगी।
8. कोई भी फीचर/लोगो निम्नलिखित ऊंचाई से अधिक नहीं होना चाहिए:
 - क) हॉल 2-5, 6, 14 और 18: 6.0 मी
 - ख) हॉल 7, 8-11 और 12-12ए: 5.0 मी
 उपरोक्त ऊंचाई आगे छत से कम से कम 1.0 मीटर नीचे होने के अधीन है।
9. बिजली के केबल/वायरिंग को पीवीसी/लकड़ी के बक्सों (आग मंदक) के नीचे ठीक से कवर किया जाना चाहिए।
10. मेजेनाइन के संबंध में मेजेनाइन निर्माण के लिए ड्राइंग और संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जमा कराना होगा। मेजेनाइन क्षेत्र, सीढ़ियों सहित के लिए किराया निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
11. पंजीकरण काउंटर के अलावा एंट्री/इंटरलॉकिंग लॉबी में कोई निर्माण नहीं, वह भी मार्ग/द्वार से दूर।
12. स्टाल, ब्रांडिंग, पंजीकरण गेट या डिस्प्ले के रूप में कोई भी निर्माण सीधे सड़क पर नहीं होना चाहिए बल्कि निर्दिष्ट स्थानों पर होना चाहिए।
13. अग्नि सुरक्षा, अभियांत्रिकी एवं वास्तुशिल्पीय दिशानिर्देशों का अनुपालन।
14. दिल्ली अग्निशमन सेवा/ट्रैफिक पुलिस से अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
15. फोयर्स में निर्माण निषेध क्षेत्र:
 - a. हॉल 7: वाणिज्यिक प्रयोग नहीं एवं इसके अतिरिक्त लेआउट के अनुमोदन के अधीन
 - b. हॉल 8-9: शून्य
 - c. हॉल 9-10, 10-11, 12-12 ए: 12.0 मी फोयर के भीतर के द्वार एवं फोयर के दोनों ओर से तथा इसके अतिरिक्त लेआउट के अनुमोदन के अधीन
16. खाद्य एवं पेय पदार्थों के उपयोग के लिए, एफ एंड बी विभाग के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए और एफ एंड बी विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
17. एक फायर टेंडर (सभी सामान और चालक दल के सदस्यों के साथ) और हॉल के अंदर पर्याप्त प्रशिक्षित फायर गार्ड तैनात किए जाए।
18. पूर्व-प्रदर्शनी किरायेदारी के दौरान और आयोजक के प्रतिनिधि के साथ प्रदर्शनी के पहले दिन संयुक्त निरीक्षण।

आहरण की जांच के लिए अनुरोध

सेवा में: इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आईटीपीओ),

प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली - 110001

आयोजन: _____

कंपनी का नाम: _____

हॉल नंबर: _____ प्रदर्शनी तिथियां: _____ किरायेदारी तिथियां: _____

संपर्क हेतु व्यक्ति का नाम: _____ पदनाम: _____

मोबाइल नंबर: _____ टेलीफोन नंबर: _____

चेकलिस्ट:

1. लंबाई-चौड़ाई के साथ योजना/लेआउट;
2. मेजेनाइन स्टॉलों का ब्यौरा (यदि लागू हो);
3. किसी बाहरी हॉल का निर्माण या सजावट;
4. अनुमोदन के लिए कोई विशेष अनुरोध, यदि कोई हो

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____